

## प्राककथन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम संकलित हैं जिसमें (i) कृषि एवं गन्ना विकास, (ii) पशुपालन एवं मत्स्य पालन, (iii) भवन निर्माण, (iv) पेयजल एवं स्वच्छता, (v) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, (vi) मानव संसाधन विकास, (vii) सूचना प्रौद्योगिकी, (viii) श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण, (ix) पथ निर्माण, (x) ग्रामीण विकास, (xi) ग्रामीण कार्य एवं (xii) कल्याण विभाग शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं, जो 2012-13 की अवधि के लिए हुए नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में जानकारी में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में उजागर हुए, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण आवश्यकतानुरूप जोड़े गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा आयोजित की गई है।